



बोडश बिहार विधान सभा

त्रयोदश सत्र दैनिक विवरणिका

संख्या-17

सोमवार, दिनांक- 22 जुलाई, 2019 ई० ।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाहन से 12.08 बजे अपराह्न तक ।

[1] प्रश्नोत्तर काल :-

- (i) 05 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।
- (ii) 19 तारोंकित प्रश्न उत्तरित ।
- (iii) 01 तारोंकित प्रश्न संख्या-'क' 1008 स्थगित ।
- (iv) 06 तारोंकित प्रश्न अपृष्ट ।
- (v) 36 तारोंकित प्रश्न अनागत ।

[2] कार्य स्थगन प्रस्ताव :-

माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ, श्री मो० नेमतुल्लाह, श्री सत्यदेव राम, श्रीमती अमिता भूषण, सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान, श्री प्रह्लाद यादव, श्री भोला यादव, श्री मो० नवाज आलम, श्री राजेन्द्र कुमार एवं श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव द्वारा दिए गए कार्य स्थगन सूचना को नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा अमान्य किये जाने की घोषणा की गई ।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शोर-गुल करते हुए बेल में आ गए ।

आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों से बार-बार अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने स्थान पर जाकर अपनी बातों को कहें ।

किन्तु सदन में शान्ति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 04.05 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[3] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

माननीय प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा विहार विधान सभा की नियम समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन की प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

[4] विधायी कार्य :- राजकीय (वित्तीय) विधेयक

“विहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2019”

माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। विधेयक पर विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरान्त बारी-बारी से सभी खण्ड विधेयक के अंग बने। तदोपरान्त माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

स्वीकृति के प्रस्ताव पर वाद-विवाद में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

- (i) श्री रामदेव राय
- (ii) डा० रामानुज प्रसाद
- (iii) श्री राजकिशोर सिंह
- (iv) श्री मनोज कुमार
- (v) श्री मो० नेमतुल्लाह
- (vi) श्री ललन पासवान
- (vii) श्री चन्द्रशेखर
- (viii) श्री सुदामा प्रसाद
- (ix) श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह
- (x) श्री सुबोध राय
- (xi) श्री जिवेश कुमार

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

तदोपरान्त माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा विस्तारपूर्वक उत्तर दिया गया।

तत्पश्चात् विहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2019 सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

[5] निवेदन :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 41 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे।

[6] शोक प्रकाश :-

माननीय अध्यक्ष महोदय ने निम्नांकित जननायकों के निधन पर शोक प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की चिर शांति एवं शोकाकुल परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने हेतु ईश्वर से प्रार्थना की ।

- (i) स्व० राम चन्द्र पासवान, वर्तमान लोक सभा सदस्य
- (ii) स्व० ए०के० राय, पूर्व० लोक सभा एवं विधान सभा सदस्य

तदुपरांत सभी माननीय सदस्यों ने एक मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि शोक संवेदना सम्बन्धित शोकाकुल परिवारों के पास मेरे एवं सदन की ओर से भेज दिया जाय ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक-23 जुलाई, 2019 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना

दिनांक-22.07.2019

बटेश्वर नाथ पाण्डेय

सचिव,

विहार विधान सभा, पटना ।